राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
पंचायती राज

कमांक एफ 17(ई)ग्राविपं/प्रशा.2/बी.एफ.सी./2009–10/2375 जयपुर दिनांक 07/9/2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त (झुंझुंनू को छोडकर)।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 17700/2018 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.05.2022 एवं 26.05.2022 की पालना में कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची के माध्यम से 4000 पदों पर मंत्रिमण्डल की आज्ञा कमांक 94/2022 सह अनुमोदित मंत्रिमण्डल–ज्ञापन में निर्धारित प्रकिया एवं नियमों में प्राप्त शिथिलन अनुसार निर्धारित कलेण्डर में तय समय पर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 17700/2018 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.05.2022 एवं 26.05.2022 की अनुपालना में कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची का प्रचालन कर 4000 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमण्डल से प्राप्त अनुमोदन अनुसार उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 273 के **तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार** प्रतीक्षा सूची के माध्यम से ही संपादित की जानी है। इस हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

(1) उक्तानुसार 4000 पदों में से संबंधित जिला परिषद को आवंटित कुल पदों (जिलेवार आवंटित पदों की सूची –परिशिष्ट–1.) के आधार पर समस्त जिला परिषद के स्तर पर संधारित रोस्टर अनुसार रोस्टर नियमों की पालना करते हुए पदों का वर्गवार आवंटन कर वर्गवार प्रतीक्षा सूची जारी की जानी है। संबंधित जिला परिषद के स्तर पर विभिन्न न्यायिक वादों में माननीय न्यायालय द्वारा आरक्षित रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची बाबत जिला प रिषद को आवंटित पदों में से ही समायोजित किया जाना है।

(2) उक्त प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने बाबत संबंधित जिला परिषद को पूर्व में राजकॉम्प एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मूल डाटा से अग्रिम कार्यवाही करते हुए पूर्व में कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों को किसी भी जिले की प्रतीक्षा सूची की वरियता में स्थान नही दिया जावे।

(3) उक्तानुसार पदों पर भर्ती की कार्यवाही बाबत संलग्न कलेण्डर (परिशिष्ट–2) में निर्धारित समय अनुसार चयनादि/नियुक्ति की कार्यवाही संपादित की जावे। किसी बिन्दु पर अस्पष्टता की स्थिति हो तो विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जावे।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(नवीन जैन)
शासन सचिव

Rajvacancy

Rajvacancy education news group

शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जिसका लिंक नीचे दिया गया है👇

WhatsApp

JOIN CHANNEL

ग्रुप से जुड़ने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें 👆

facebook page	**click here to join**
Instagram page	**click here to join**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार , जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक , माननीय राज्य मंत्री, ग्राविपरांज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपंराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. जिला कलक्टर समस्त।
10. अतिरिकत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

परिशिष्ट-1

कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का जिलेवार विवरण

क0सं0	जिला परिषद का नाम	प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की संख्या
01	अजमेर	79
02	अलवर	135
03	बांसवाडा	29
04	बारां	33
05	बाडमेर	409
06	भरतपुर	19
07	भीलवाडा	74
08	बीकानेर	267
09	बूंदी	63
10	चित्तोडगढ	163
11	चुरू	154
12	दौसा	171
13	धौलपुर	34
14	डूंगरपुर	94
15	हनुमानगढ	83
16	जयपुर	300
17	जैसलमेर	147
18	जालौर	170
19	झालावाड	58
20	झुंझुंनू	0
21	जोधपुर	442
22	करौली	150
23	कोटा	11
24	नागौर	113
25	पाली	98
26	प्रतापगढ	79
27	राजसमन्द	54
28	सवाई माधोपुर	120
29	सीकर	112
30	सिरोही	95
31	श्रीगंगानगर	32
32	टोंक	26
33	उदयपुर	186
	सर्वयोग	4000

(डॉ. रौनक बैरागी)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव (तृतीय)

परिशिष्ट-2

प्रस्तावित कलेण्डर

क्र. स.	गतिविधि	समयावधि	निर्धारित तिथि	विशेष विवरण
1	कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 की कार्यवाही सफलता पूर्वक सम्पन्न किये जाने हेतु सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण	एक दिन	8 सितम्बर 2022	उक्त तिथि को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वी0सी0 रखी गई है, जिसके लिए पृथक से वी0सी0 के समय बाबत सूचना दी जा रही है। उक्त वी0सी0 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अनिवार्यतः उपस्थित रहना है।
2	अन्तराल (जिला परिषदों की तैयारी हेतु)	तीन दिन		
3	**प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरे जाने वाले 4000 पदों की जिलेवार एवं श्रेणीवार संख्या की सूचना तथा जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होना है, उनकी श्रेणीवार वरियतानुसार सूची जारी करना**	एक दिन	12 सितम्बर 2022	विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के संबंध में आदिनांक तक जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
4	**प्रतीक्षा सूची के क्रम में दावे–आपत्ति मांगे जाने हेतु राज्य स्तरीय दैनिक दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराना।** निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त दावे पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा, संबंधी अभिव्यक्ति का अंकन तथा फाइनल प्रतीक्षा सूची जारी करने की तिथि, दस्तावेज सत्यापन की तिथि व जिला परिषद के ईमेल आईडी की सूचना उक्त विज्ञप्ति में दिया जाना अनिवार्य होगा।	दो दिन	13 सितम्बर से 14 सितम्बर 2022	विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न है। (परिशिष्ट–3)
5	अन्तराल (जिला परिषदों की तैयारी हेतु)	चार दिन		
6	प्रतीक्षा सूची के क्रम में दावे–आपत्ति जरिये ईमेल/व्यक्तिशः प्राप्त करना	पॉंच दिन	19 से 23 सितम्बर 2022	
7	अन्तराल (जिला परिषदों की तैयारी हेतु)	तीन दिन		
8	समस्त दावे आपत्तियों के नियमानुसार निस्तारण कर संशोधन अपेक्षित होने पर संशोधित प्रतीक्षा सूची जारी कर वेबपोर्टल पर अपलोड कराना।	चार दिन	27 सितम्बर से 30 सितम्बर 2022	
9	अन्तराल (जिला परिषदों की तैयारी हेतु)	तीन दिन		
10	प्रतीक्षा सूची अनुसार आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन पत्र, ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिए गए विवरण अनुसार जिला मुख्यालय पर दस्तावेज सत्यापन करना। अभ्यर्थियों से उनके मूल दस्तावेज प्राप्त करना और प्राप्त दस्तावेजों की रसीद देकर अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।	4 दिन	4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2022	
11	अन्तराल (जिला परिषदों की तैयारी हेतु)	दो दिन		
12	जिला कलक्टर के निर्देशन में प्रोविजनल वरीयता सूची तैयार करना एवं जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी से चयन सूची का अनुमोदन कराना	पॉंच दिन	10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2022	

(डॉ. सौनक बैरागी)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव (तृतीय)

परिशिष्ट-2

13	अन्तराल (जिला परिषदो की तैयारी हेतु)	दो दिन		
14	जिला स्थापना समिति से चयन सूची का अनुमोदन एवं अभ्यर्थियों को पंचायत समिति आवंटन	दो दिन	17 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2022	
15	पंचायत समितियों द्वारा चयन सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश संबंधित अभ्यर्थीगण के मूल दस्तावेज के संबंधित संस्थाओं से सत्यापन तथा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही प्राप्त होने के अध्यधीन शर्त पर चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं अन्य विधि संगत औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए प्रोविजनल नियुक्ति आदेश जारी करना। अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता संबंधी दस्तावेज जारी करने वाली संस्थाओं के प्राधिकृत एजेन्सी से मान्यता प्राप्त होने संबंधी तथ्य की भली प्रकार जाँच करने का उत्तरदायित्व दस्तावेज सत्यापन दल एवं संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नियुक्ति अधिकारी का होगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत तथ्य सही नही पाये जाने, उनके दस्तावेजों के संबंधित संस्थाओं से प्रमाणीकरण में सही नही पाये जाने एवं पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अभ्यर्थी के विपरीत नही आने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी, बाबत अभ्यर्थी का रू0 50/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर वचन पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।	तीन दिन	19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022	
	संभावित लगने वाला कुल समय	**46 दिन**		
16	नियुक्त अभ्यर्थियों के समस्त मूल दस्तावेज सत्यापन संबंधित संस्थाओं से करना तथा पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त करना	एक माह		

(डॉ. रौनक बैरागी)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव (तृतीय)

परिशिष्ट-3

कार्यालय जिला परिषद...

कमांक:-जिप...../संस्था/क0लि0 भर्ती-2013/प्रतीक्षा सूची/2022 दिनांक

प्रेस विज्ञप्ति

इस जिला परिषद द्वारा कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 की विज्ञप्ति, कमांक .... दिनांक..............द्वारा .... पदों के लिए जारी की गई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 17700/2018 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 04.05.2022 एवं 26.05.2022 की अनुपालना में प्रतीक्षा सूची के माध्यम से पद भरने हेतु कलेण्डर जारी कर दिया गया है। उक्त पदों को भरे जाने हेतु मंत्रिमण्डल द्वारा नियमों में प्रदत्त शिथिलन एवं तदनुसार निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए उक्त पदों की श्रेणीवार संख्या की सूचना, जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होना है, उनकी श्रेणीवार वरियतानुसार सूची एवं निर्धारित कलेण्डर, विभागीय वेबपोर्टल www.rajpanchayat.rajasthan. gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।

प्रतीक्षा सूची के कम में उक्त भर्ती के आवेदकों द्वारा दिनांक 19 सितम्बर 2022 से 23 सितम्बर 2022 तक की अवधि में दावे-आपत्तियॉ जिला परिषद की ईमेल आई0डी0 ....पर या व्यक्तिशः जिला परिषद कार्यालय में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति स्वीकार्य नही होगी। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त दावे पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 30 सितम्बर 2022 से पूर्व/तक फाइनल प्रतीक्षा सूची जारी कर उक्त प्रतीक्षा सूची अनुसार अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 4 अक्टूबर 2022 से 7 अक्टूबर 2022 तक संपन्न कर ली जायेगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Rajvacancy

Rajvacancy education news group

शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जिसका लिंक नीचे दिया गया है👇

WhatsApp

JOIN CHANNEL

ग्रुप से जुड़ने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें 👆

facebook page	click here to join
Instagram page	click here to join